

आज दिनांक 16.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सुजीत यादव पुत्र कपिलदेव यादव निवासी भैसहीजोत पोस्ट तरया थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को प्रजापतिपुर के पास से गिरफ्तार कर धनघटा पर मु0अ0सं0 551/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री श्यामदेव, हे0का0 रामजतन, का0 धर्मेन्द्र यादव।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10-10ली0 (कुल 20 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- सागर पुत्र बलिराज निवासी कटहा खैरगाड़ 2- रुदल कुमार निषाद पुत्र रामसुमेर निषाद निवासी माझा चहोड़ा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 10-10 (कुल 20) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 552/21 व 553 / 21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री दीपक दूबे, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 रामसूरत प्रसाद, हे0का0 मोहन चौधरी, का0 सुजीत कुशवाहा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता संतोष दूबे पुत्र बैजनाथ दूबे निवासी खजुराकला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 द्वारा दुर्घटना में घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बखिरा से इवेन्ट संख्या 06955 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक महिला (अमीदुलन्निशा पत्नी मो0 लौहरसन थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 01 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुई महिला को 108 एम्बुलेंस से भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी अभय कुमार, हो0चा0 देवेन्द्रनाथ राय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 248 वाहनो से 139500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 16.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 248 वाहनो से 139500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।